न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 20/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00067)

निर्णय दिनांकः 21-4-22

1. श्रीमती मनोहरी देवी पत्नी स्व. हनुमान (फौत/तर्क)
2. प्रेमसुख पुत्र स्व. हनुमान
3. बाबुलाल पुत्र स्व. हनुमान
4. नर्बदा पुत्री स्व. हनुमान
5. पुष्पा पुत्री स्व. हनुमान
   जाति ब्राहमण निवासी कालूबास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. नारायणी पत्नी स्व. गंगाराम
2. राधेश्याम पुत्र स्व. गंगाराम
3. कैलाश पुत्र स्व. गंगाराम
4. अशोक पुत्र स्व. गंगाराम
5. पुरूषोतम पुत्र स्व. गंगाराम
   जाति ब्राहमण निवासी कालूबास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूँगरगढ़।
7. अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़
दिनांक 11–12–2019

उपस्थितः–

1. श्री रामावतार बूरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 11–12–2019 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट का रास्ता कायम करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 157 तादादी 5.2300 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसका रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.6700 हेक्टर में से कालू जाने वाली सड़क से फटकर सरकारी बीड खसरा नम्बर 154 तादादी 12.7300 हेक्टर में से होता हुआ रेस्पोडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर 158 की दक्षिण सीमा के सहारे अपीलांट् के खेत में आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा उक्त रास्ते को बार–बार अवरूद्व करने व अपीलांट्स को अपने खेत खसरा नम्बर 157 में आवागमन हेतु असुविधा होने की स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खेत खसरा नम्बर 158 में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट्स के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपने खेत में पहुँच हेतु उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा खेत में ऊंचें टीले बने हुए है तथा खेत खसरा नम्बर 158 में आवागमन के कोई पदचिन्ह् उपलब्ध नहीं होने का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आधार लेते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या धारा 251ए की मंशा के विपरीत है क्योंकि किसी भी काश्तकार को उसकी जोत पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम किया जा सकता है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स को उसके खेत खसरा नम्बर 157 में आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत मौके की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की अपीलांट्स/प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत रास्ते की मांगी की गई थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा यह अभिलिखित करते हुए कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह आवागमन की दृष्टि से किसी भी प्रकार से सुविधाजनक नहीं कहा जा सकता। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या रास्ते के नियमों के विपरीत की गई है। क्योंकि अपीलांट्स अर्से–दराज से रेस्पोडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर 158 से कालू जाने वाली सड़क से फटकर सरकारी बीड़ खेत खसरा नम्बर 154 से होता हुआ खेत खसरा नम्बर 158 की दक्षिणी सीमा से सहारे से अपने खेत खसरा नम्बर 157 में प्रवेश करता आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 158 में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 738 व आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 706 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के नोटिस बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रेस्पाडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर 158 में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि अपीलांट्स/प्रार्थीगण के खेत के चारों और रेत के ऊंचें टीले है, जिस पर आवागमन के कोई पदचिन्ह् नहीं पाये गये है। अपीलांट्स द्वारा खेत खसरा नम्बर 158 में से रास्ता चाहा गया है जोकि मौके पर गैर मुमकिन बीड़ भूमि है। जिस पर रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स के पास खेत खसरा नम्बर 164 की उत्तरी सीमा से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार स्वयं मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 157 में आवागमन हेतु रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा नम्बर 158 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने व रेस्पोडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर 158 में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है।

इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 157 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर 158 में से रास्ता चाहा गया है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा खेत खसरा नम्बर 158 से होते हुए खेत खसरा नम्बर 154 से श्रीडूँगरगढ़ से गुंसाईसर रोड़ पर पहुँच की चेष्टा उक्त रास्ते के माध्यम से की गई है। प्रकरण में चूंकि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 5 के पूर्व में खेत खसरा नम्बर 154 जोकि गैर मुमकिन बीड़ है। ऐसी स्थिति में खेत खसरा नम्बर 158 से आगे बीड भूमि खेत खसरा नम्बर 154 से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होना संभव नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट्स द्वारा मौके पर फसल काश्त की हुई नहीं है तथा ना ही आवागमन हेतु कोई पदचिन्ह् पाये गये हो जिससे साबित होता हो कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के खेत का कोई उपयोग व उपभोग किया जा रहा हो। ऐसीस्थिति में जब अपीलांट्स द्वारा चाहे गये रास्ते का कोई उपयोग व उपभोग ही नहीं हो रहा है तो उक्त रास्ते को बन्द किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए यह पाये जाने पर कि अपीलांट्स/प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह आवागमन की दृष्टि से किसी भी प्रकार से सुविधाजनक रास्ता नहीं कहा जा सकता, अपीलांट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए विधिक प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। लिहाजा हम परीक्षण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 11—12—2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21/4/22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/4/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर